सरकार बनाम रेणु शर्मा
मु0नं0 36/2016
प्रार्थना पत्र 212 आरटीए

दिनांक – 05.10.2020 प्रार्थी तहसीलदार व वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज किता 1 पेश किया। बहस सुनी गई प्रार्थी का तर्क है कि भूमि हाल खसरा न0 278,281 मौजा ढ़ाणी डालमिया को अप्रार्थी द्वारा कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रकिया अपनायें किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप प्लाटिंग की गद लगाकर इस खसरा न0 की भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेंसी शर्तों को भंग किया एवं बिना सपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तित की है जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ हैं। इस कारण अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वकील अप्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थीया ने कभी भी उक्त भूमि पर प्लॉटिंग के गद लगाकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ विवादास्पद भूमि पर गैर कृषि स्वरूप का परिवर्तन नहीं किया और ना ही कभी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया है। अप्रार्थीया ने उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु एवं उक्त भूमि में एक टीनशैड का ढारा बनाकर आवारा पशुओं से भूमि की सुरक्षा हेतु बनवाया जाकर भूमि को सुरक्षित करने के लिए पत्थर डलवाये गये थे। उक्त पत्थरों के आधार एवं आस–पड़ौस के लोगो की झूठी शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को गलत एवं मिथ्या सूचना दी गई है। अप्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि के रूपान्तरण हेतु अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिड़ावा द्वारा तहसीलदार सूरजगढ़ को 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है और तहसीलदार सूरजगढ़ (प्रार्थी) द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा न 278 एवं 281 के भूमि के 90 ए राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिये उक्त भूमि के रूपान्तरण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर रखी है। अप्रार्थीया द्वारा भूमि सुपरिवर्तन हेतु राशि नगरपालिका में जमा करवायी जा चुकी है जिसकी फोटो प्रति संलग्न पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया गया अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रसीद की फोटो प्रति दिनांक 08.09.2020 से यह प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि वादग्रस्त भूमि के सपरिवर्तन हेतु पत्रावली कार्यालय नगरपालिका चिड़ावा में करवायी हुई है इसलिए अप्रार्थीया के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2016 वेकेट किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner